# // कार्यालय जिला पंचायत, होशंगाबाद //

Ph.No. (07574) 253362, Fax. 251727, E-mail- ceozphos@mp.gov.in

क्रमांक/ 181 /भंडार/जि0पं0/18 होशंगाबाद, दिनांक 05 04/18

## !! निविदा सूचना !!

(अ) जिला पंचायत कार्यालय होशंगाबाद में किराये के वाहन की आवश्यकता है। किराये का वाहन कर्मशियल होने चाहिए तथा शासन निर्देशानुसार समस्त टैक्स पेड (टेक्सी परमिट) एवं वाहन टाटा सफारी स्ट्रोम /स्कार्पियों / इनोवा/ महेन्द्रा बुलेरो/ महिन्द्रा डस्टर एवं 5 सीटर प्लस एसी सहित वर्ष 2016 या बाद का मॉडल होना चाहिए।

(ब) एक पृथक वाहन इनोवा क्रिस्टा GX मॉडल वर्ष 2018 का होना चाहिए।

निविदा फार्म एवं शर्ते जिला प्रशासन की बेवसाईड www.hoshangabad.nic.inपर देखे जा सकते है। निविदायें दिनांक 13/04/2018 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा होंगे तथा इसी दिनांक को दोपहर 3.00 बजे खाले जावेगे । निविदा के साथ रू. 10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) अमानत राशि का डी.डी. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, होशंगाबाद पर देय होना चाहिए संलग्न करें।

(मु0का0अधि0जि0पं0 द्वारा अनुमोदित)

अति.मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, होशंगाबाद

## // शर्ते //

1. निविदा सूचना (अ) हेतु वाहन वर्ष 2016 या बाद का मॉडल होना चाहिए एवं निविदा सूचना (ब) हेतु एक पृथक वाहन इनोवा क्रिस्टा GX मॉडल वर्ष 2018 का होना चाहिए ।
2. वाहन की डीजल खपत कम से कम 10 कि.मी. प्रति लीटर होगी इससे कम होने पर क्षतिपूर्ति वाहन मालिक की होगी।
3. वाहन अधिग्रहण अवधि (किराये की अवधि) में डीजल वाहन संधारण में होने वाली टूट-फूट, बेटरी, टायर, ट्यूब आदि के व्यय की संपूर्ण जबावदारी वाहन मालिक की होगी।
4. यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थानों पर भी ले जाया जायेगा।
5. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है।
6. वाहन में चारों चके के टायर-ट्यूब व स्टेपनी दुरुस्त एवं सही हालत में होना अनिवार्य है। माईलोमीटर चालू हालत में चाहिए। खराब अथवा बंद होने की स्थिति में वाहन मालिक की जबावदारी होगी।
7. वाहन मालिक की हर समय उसके ड्रायवर को कार्य करने के लिय तैयार रहने का आदेश देना होगा।
8. वाहन मय ड्रायवर के उपलब्ध कराना होगा जिसके पास वैध ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है, ड्रायवर का वेतन भत्ता व अन्य खर्चे वाहनमालिक को वाहन करना होगा।
9. वाहनमालिक के ड्रायवर को वाहन का बीमा रजिस्ट्रेशन कामर्शियल लायसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा साथ में रखने होंगे वाहन टेक्स पेड एवं वाहन मालिक के स्वामित्व में होना चाहिए किसी भी प्रकार की दुर्धटना होने पर वाहन का स्वामी उसके लिए उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्चे वाहन मालिक को करना होगा। वाहन समंस्त कर्मर्शियल टेक्स पेड (टेक्सी परमिट) होना आवश्यक है।
10. वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तर दायित्व वाहन मालिक का होगा। यदि कोई क्षति पूर्ति न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन मालिक की होगी।
11. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः अधिकतम 2 घंटे में वाहन सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। 12 घंटे से अधिक वाहन खराब होने की स्थिति में उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा वाहन खराब होने के स्थान से गैरिज तक लाने का दायित्व वाहनमालिक का होगा।
12. वाहनमालिक यदि वाहन का उपयोग करना चाहता है तो उसे 15 दिन पूर्व उपयोगकर्ता अधिकारी को लिखित में आवेदन करना होगा।
13. यदि वाहन स्वयं के उपयोग में लेना है तो वाहनमालिक कार्यालय हेतु अन्य वाहन की व्यवस्था करेगा। वाहन मालिक द्वारा अन्य वाहन व्यवस्था नहीं करने पर वाहन लिया जाता है उस स्थिति में अंतर की राशि वाहन मालिक को देय राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।
14. वाहन लगातार 3 दिवस तक प्रदाय नहीं किये जाने एवं शर्तो का उल्लधंन किये जाने पर उसके द्वारा जमा कराये गयी प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा जप्त की जा सकेगी यदि वाहन मालिक अनुबंध अवधि के दौरान किन्हीं कारणों से वाहन उपलब्ध नहीं कराता है तो उसे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी।
15. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व प्रभारी अधिकारी वाहन से प्रतिदिन मीटररीड़िग के अनुसार की गयी यात्रा का प्रमाणीकरण लागबुक में कराना होगा। लागबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही देयक का भुगतान किया जा सकेगा ।
16. माइलोमीटर की गड़बड़ी या अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक की दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार ही दूरी मान्य की जावेगी।
17. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय के बाहर के उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं रहेगा।
18. वाहनमालिक को प्रतिभूति राशि के रूप में रूपये 10000/- निविदा के साथ डी.डी. द्वारा जिला पंचायत, होशंगाबाद के पक्ष में जमा करना होगा। जो अनुबंध समाप्ति पर वापस की जा सकेगी यदि कोई विवाद की स्थिति निर्मित ना-हो।
19. मुख्यालय एवं दौरों पर पी.ओ.एल. की सीमा परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर जारी प्रचलित निर्देशानुसार रहेगी।
20. टोल-टेक्स किराया वाहन मालिक को वहन करना होगा।
21. वाहन निविदा स्वीकृति आदेश जारी होने के दिनाँक से एक वर्ष के लिए अनुबंधित रहेगी जिसे दोनों पक्षों की सहमति से आगे भी बढ़ाया जा सकेगा।
22. उक्त अनुबंधित वाहन दोनो पक्षों की सहमति से आगे बढाया जावेगा एवं यदि प्रथम पक्ष चाहे तो एक वर्ष से पूर्व भी वाहन का अनुबंध समाप्त कर सकता है ।
23. उक्त वाहन अनुबंधित दिनांक से (01 वर्ष) तक उपरोक्त शर्तो के अधीन प्रथम पक्ष में संलग्न रहेगा जिसे प्रथम पक्ष की आवश्यकतानुसार दोनों पक्षों की सहमति से आगे भी बढाया जा सकता है। वाहन की आवश्यकता न होने पर या वाहन की सेवायें संतोषजनक न होने पर कभी भी उक्त अनुबंध समाप्त कर सकता है।